


प्रस्तुति 2 (नियम 11 (4) दर्शिए)



कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (BARWANI), मध्यप्रदेश

दरभाष:-

फैक्स:

ई-मेल:

क्रमांक/स्कूल आई.डी. - 28182130/72062
पति,

दिनांक:- 12/05/2017

प्रबंधक,

(LOTUS VALLEY SCHOOL OZAR)

विवर: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोगन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्राप्त है।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 28/03/2017 तथा इस संबंध में स्कूल से प्रधानवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -LOTUS VALLEY SCHOOL OZAR, OJHAR को कक्षा Nursery से कक्ष 8 तक के लिए दिनांक 01/04/2017 से 31/03/2020 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूं।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन होगी:-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्ष 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विविहित नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पढ़ोने की सीमा के बंधित सम्मुख तथा कमज़ोर बड़ी के बालकों को कक्ष 1 में न्यूनतम 25 घंटियां पढ़ें देगा। उस टच में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य पारंपरिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके बार्थिक आवश्यक व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रवाह वार्थिक आवश्यक सहायता या अनुदान प्राप्त होता है जिसमें यह न्यूनतम वर्षीय घंटियां के अधीन होता वशत है कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्रि-स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम की धारा 12 की उपरांत (क) से (ग) के उपबंध प्रिस्कूल में प्रवेश के लिए लागू होगी।
- ऐसा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यवय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु इस स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटीस्कूल कोई भी बीपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अधिभावक के साथ किसी छन्दोंने प्रक्रिया वदे नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
 - (क) आयु के सबूत के अभाव में;
 - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात् ऐसा प्रवेश घाहा गया है;
 - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
 - किसी स्कूल में पारंपरिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
 - किसी बालक को पारंपरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
 - पारंपरिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
 - नियम 19 के अधीन पारंपरिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
 - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशुल्क आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
 - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की अवृत्ति की जाएगी; वशत है कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी;
 - शिक्षकों की अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
 - प्रायोक्त टीचिंग की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।
- स्कूल समुचित प्राप्तिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचयों का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात ग्रंथालय में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।


- स्कूल द्वारा अधिनियम की पारा 19 में विनिर्दित स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं अनुसार चाहे गयीं-

सुविधाएं	पोर्टल में दर्जे	वास्तविक स्थिति
स्कूल के मानक की स्थिति	स्वयं का मानन	स्वयं का मानन
स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	179327	179327
स्कूल का विभिन्न क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	27084	27084
खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	90000	90000

क्र.	अधोसंरचना का विवरण				
	कक्ष	Rooms as per RTE	पोर्टल में दर्जे	वास्तविक स्थिति	
		संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)
1	कक्ष आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षों कक्ष	16	520	16	520
2	कार्यालय कक्ष-सह-अपडार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष	4	180	4	180
3	भौजतालय-सह-अपडार	1	180	1	180

क्र.	अन्य सुविधाएं	पोर्टल में दर्जे	वास्तविक स्थिति
1	कक्ष सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहत है हाँ/नहीं	हाँ	हाँ
2	पाठ्य पाठ्य सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करे)	हाँ	हाँ
3	खेलकूट एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करे)	हाँ	हाँ
4	पुस्तकों की संख्या	500	500
5	परिकार/समाधार पर	3	3
6	पेयजल सुविधा का प्रकार	Tube Well	Tube Well
7	पेयजल सुविधा की संख्या	1	1
8	शौचालय का प्रकार (आदतीय/परिस्थितीय)	Both Indian & Western	Both Indian & Western
9	लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	4	4
10	लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	8	8
11	विकासांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	2	2
12	कक्ष अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हाँ/नहीं	हाँ	हाँ

- सेवे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होंगा। प्रत्येक लेखाऊं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपको स्कूल का मान्यता कोड नम्बर .28182130.. एवं डाइसकोड (DISE) 23280101124 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर संलग्नित किए जाएं।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/श्यामीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्ती की निरन्तर पूरी सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
- सोसायटीन्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शहौं संलग्न उपार्थ “तीन” के अनुसार हाँगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपर्योगी और मान्यता की शर्ती का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।


 जितेंद्र बर्वानी
 जिला शिक्षा अधिकारी
 जिला BARWANI में (अ. प.) उपराजपत्रदेश